

फर्द अहकाम
अज अदालत -जिला कलक्टर,-गुकाम -भरतपुर
ऋषभ शर्मा बनाम अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, भरतपुर
किस्म मुकदमा-अपील आर.टी.आई. नम्बर 27 सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुए
22.05.2025	<p>प्रार्थी/अपीलान्त ऋषभ शर्मा पुत्र श्री दिनेश चन्द शर्मा अनाह गेट बजरिया, भरतपुर की यह अपील आर टी आई 2005 के तहत विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै० भरतपुर, प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै० भरतपुर से सूचना चाही गई थी। चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण, आरटीआई 2005 के तहत यह अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।</p> <p>प्रस्तुत अपील एवं संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर आया कि चाही गई सूचना अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण आर.टी.आई. 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलै० भरतपुर द्वारा मूल प्रार्थना पत्र अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर को अपने पत्रांक राजस्व/आर.टी.आई./12/12/() 2025/2156 दिनांक 17.04.2025 से प्रेषित किया जा चुका है। अतः चाही गई सूचना अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर के स्तर पर लम्बित है।</p> <p>आर.टी.आई. 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील को वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफतर हो।</p>	<p style="text-align: right;">418 22/5/25 वापिस लौटाई</p>


जिला कलक्टर
भरतपुर